न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या—525 / 2026
बिहटा थाना कांड संख्या—380 / 2026

1. कृष्णा राय उर्फ कृष्णा कुमार पिता रामएकबाल यादव उर्फ रामएकबाल राय।
साकिन—महेन्द्र नगर, थाना—रानीतालाब,जिला—पटना।
वर्तमान साकिन—श्रीरामपुर,थाना—बिहटा,जिला—पटना।
—————— अभियुक्त।

आवेदक की ओर से— श्री मुकेश कुमार, अधिवक्ता।
अभियोजन की ओर से —श्री रामकेश्वर प्रसाद, लोक अभियोजक।

आदेश

26.05.2026 बिहटा थाना कांड संख्या—380 / 2026 धारा—126(2),115(2),109(1),117(2),351(1),3(5),352बी.एन.एस. से संबंधित है, के याची अभियुक्त की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

इस जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस नियमित जमानत आवेदन के अतिरिक्त ना ही सत्र न्यायालय और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त दिनांक—15.04.2026 से काराधीन है। अभियुक्त को नियमित जमानत पर छोड़ने की प्रार्थना करते हैं।

विद्वान अपर लोक अभियोजक नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

संक्षेप में सूचक अमित कुमार का कथन है कि दिनांक—13.04.2026 को शाम लगभग 6.30 बजे राजू कुमार, आदित्य कुमार, कृष्णा राय व पुनम देवी ने अपने—अपने हाथ में लाठी, डंडा और लोहे की खंती लेकर गाली देते हुये मेरे घर में घुस गये और राजू कुमार व आदित्य कुमार ने लोहे के रड एवं खंती से मेरे उपर जानलेवा हमला कर दिये, जिससे मेरा सिर फट गया और मेरा बायां हाथ टूट गया। बीच—बचाव करने मेरी सास कमला देवी गयी तो कृष्णा राय ने लाठी से मारकर वायां हाथ जख्मी कर दिये। आसपास के लोगों द्वारा बीच—बचाव किया गया तो लोगों की जान बची। ईलाज कराने के बाद थाना पर लिखित आवेदन दिया। घटना का मुख्य कारण है कि कृष्णा राय बराबर चार—पॉच अज्ञात आदमियों के साथ द ार के पास मेरे गली में शराब पीकर गाली—गलौज एवं हल्ला—हंगामा करते हैं, जिन्हें मना करने पर घटना का अंजाम दिये। उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सुना। मूल अभिलेख व कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक कृष्णा राय द्वारा कमला देवी को

न्यायालयः— अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, दानापुर
नियमित जमानत आवेदन संख्या—525/2026
बिहटा थाना कांड संख्या—380/2026

लगातार

26.05.2026

लाठी से मारकर बायां हाथ जख्मी कर देने से संबधित है। कांड दैनिकी के पैरा—39. के अवलोकन से विदित होता है कि कारित जख्म साधारण प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक—15.04.2026 से काराधीन है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काराधीन अभियुक्त कृष्णा राय उर्फ कृष्णा कुमार को इस शर्त पर जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है कि इसतरह का अपराध भविष्य में नहीं करने का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे, एक जमानतदार उनके निकट संबंधी होने पर मो0 10,000/—रू0 के दो प्रतिभू के बंधपत्र दाखिल करने पर नियमित जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित करें।

लेखापित,
Sd/-

अ0स0न्याया0,पंचम,दानापुर।